न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी,सम्भल स्थित चन्दौसी
उपस्थितः नावेद अख्तर, उ०प्र० न्यायिक सेवा
JO Code-UP 3322
CNR No-**UPSL100017282026**

ललित वार्ष्णेय पुत्र श्री नन्द किशोर वार्ष्णेय,
निवासी- 17-1-391/टी/13, फ़्लैट नं0 401, त्रिमुला टावर्स सरस्वती नगर कालोनी सिदाबाद कालौनी, साहिदाबाद, हैदराबाद, तेलांगना, हाल निवासी पुराना बाजार बहजोई, थाना बहजोई, जिला सम्भल। --------- परिवादी।

बनाम

अंकित आर्या पुत्र वीरेन्द्र कुमार आर्या,
निवासी ए-350 तृतीय तल न्यू पंचवटी कालोनी भाटिया मोड, गाजियाबाद, उ0प्र0।
---------अभियुक्त।

परिवाद सं -2446/2026
धारा-138 एन0आई0 एक्ट।
थाना- बहजोई, जिला सम्भल।

परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री राहुल चौधरी

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री प्रसून कुमार

घटना की तिथि-	30.11.2018
परिवाद दाखिल करने की तिथि-	06.02.2019
अभियोगित अपराध की धारा	138 एन0आई0 एक्ट
अभियुक्त का बयान मुल्जिम	23.05.2023
बयान अंकित किये जाने की तिथि	13.12.2024
अभियुक्त का बयान अं०धारा-313 दं०प्र०सं०	24.02.2026
निर्णय के लिये संरक्षित तिथि	24.06.2026
निर्णय की तिथि	01.07.2026

- निर्णय-

1. प्रस्तुत आपराधिक वाद परिवादी ललित वार्ष्णेय द्वारा विपक्षी अंकित आर्या के विरूद्ध धारा-138 एन०आई० एक्ट के तहत दाखिल परिवाद पत्र के आधार पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी में संस्थित किया गया।

परिवाद कथानक एवं संक्षिप्त विवरण।

2. संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी व मैसर्स जे०एम०के० फूड नाम से एक साझेदारी फर्म गठित की थी फार्म में लगतार हो रहे घाटे के कारण सभी साझेदारों के मध्य फर्म को

Digitally signed by NAVED AKHTAR
Date: 2026.07.01 16:54:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विकय करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत एक समझौतानामा दिनांक 06.06.2018 को निष्पादित किया गया इस समझौते नामें के अनुकम में एक चैक संख्या –000052 शाखा ए०यू० स्माल फाईनेंन्स बैंक गाजियाबाद दिनांक 30.11. 2018 धनराषि 1,75,000/–रू० प्रार्थी को उक्त विपक्षी द्वारा दिया गया जिसे प्रार्थी ने अपने पंजाव नेशनल बैंक शाखा बहजोई में दिनांक 18.12.2018 को लगाया तो प्रार्थी को उपरोक्त बैंक द्वारा "अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ चैक बैंक द्वारा वापिस कर दिया गया। प्रार्थी ने चैक बैंक द्वारा वापिस की जाने की सूचना विपक्षी को दी किन्तु विपक्षी ने कोई सन्तोषजनक जबाब नही दिया तब प्रार्थी ने एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 01.01.2019 को उपरोक्त विपक्षी अंकित आर्या को प्रेषित किया जो विपक्षी को प्राप्त हो गया लेकिन फिर भी विपक्षी ने कोई सन्तोषजनक जबाब भी नही दिया। इस प्रकार विपक्षी ने उक्त चैक जानवूझ कर अनादित कराया है जो एक दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि विपक्षी को तलव कर दण्डित करते हुए परिवादी / प्रार्थी को नियमानुसार दोगुनी धनराशि व क्षति पूर्ति दिलाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

3. परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में चेक संख्या–000052 की छाया प्रति, रिटर्न मेमो, रजिस्ट्री रसीद, नोटिस व अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

4. परिवादी के परिवाद पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तथा जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। परिवादी के परिवाद पत्र तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2019 को तलबी आदेश पारित करते हुए अभियुक्त अमित गुप्ता को धारा–138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया।

5. अभियुक्त उपस्थित अदालत आया और अपनी जमानत करायी। न्यायालय द्वारा दिनांक–23.05.2023 को अभियुक्त अंकित आर्या के विरूद्ध धारा –138 एन०आई० एक्ट का बयान मुल्जिम अंकित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की माँग की।

6. परिवादी के द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये निम्न लिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है:–

पी०डब्लू0–01	ललित वार्ष्णेय	परिवादी
पी0 डब्लू0–02	संजय कुमार	साक्षी

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा –313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने परिवाद कथानक के सम्बन्ध में गलत एवं झूठा होना तथा मुकदमा गलत चलना कहा।

8. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया ।

9. **साक्षी पी०डब्लू–1** ललित वार्ष्णेय वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विपक्षी अंकित आर्या के साथ मैंने मैसर्स जे०एम० फूड नाम से एक साझेदारी फर्म गठित की थी। फर्म में लगातार घाटा होने के कारण सभी साझेदारों ने आपसी सहमति से फर्म को विक्रय करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 06.06.2018 को ₹50/– के स्टाम्प पर एक समझौतानामा निष्पादित किया गया, जिसे हम तीनों ने भली–भाँति पढ़कर, समझकर हस्ताक्षरित किया तथा नोटरी भी कराया। उक्त समझौते के अनुसार मेरी बकाया शेष धनराशि के भुगतान हेतु विपक्षी अंकित आर्या द्वारा चेक संख्या 000052, शाखा ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक, गाजियाबाद, दिनांक 30.11.2018, धनराशि ₹1,75,000/– मुझे दिया गया तथा आश्वासन दिया गया कि चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर उसका पूर्ण भुगतान हो जाएगा। विपक्षी के आश्वासन पर विश्वास करते हुए मैंने उक्त चेक दिनांक 15.12.2018 को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बहजोई में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, किन्तु वह "Payment Stopped by Drawer" की टिप्पणी के साथ अनादरित होकर वापस आ गया। इसके पश्चात मैंने इसकी सूचना विपक्षी को दी, परन्तु उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं

दिया। तब मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 01.01.2019 को विपक्षी को विधिक नोटिस प्रेषित कराया, जो उसे प्राप्त हो गया, किन्तु उसके बावजूद उसने न तो कोई उत्तर दिया और न ही चेक की धनराशि का भुगतान किया, जिसके कारण मुझे यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा। इस वाद से संबंधित मूल चेक, बैंक रिटर्न मेमो, विधिक नोटिस एवं अन्य समस्त मूल अभिलेख पूर्व से ही न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हैं तथा आज दिनांक 22.05.2024 को मैं मुख्य साक्ष्य शपथपत्र के साथ अपना घोषणा–पत्र (Declaration) भी दाखिल कर रहा हूँ। विपक्षी ने जानबूझकर चेक का भुगतान रुकवाकर मेरे साथ छल किया है, अतः न्यायहित में विपक्षी से चेक धनराशि का दोगुना प्रतिकर दिलाया जाना तथा उसे विधि के अनुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

10. उक्त साक्षी ने जिरह में कथन किया कि मैं हाइस्कूल पास हूँ। जिस फर्म जे .एम.के. फूड से पहले मैं हैदराबाद में काम करता था। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वह भी फूड की कम्पनी थी। ये नहीं बता सकता मैं कब छोड़कर आया हूँ। मैं फैक्ट्री में भाई के साथ देख –रेख का काम व सूपरवाइजर था। मैं रूपये का हिसाब नहीं रखता था। गाजियाबाद में प्लाट लगाने के लिये छोड़कर आया। मुझे फूड्स प्लॉट की जानकारी थी। जे.एम.के फूड्स फर्म में मैं और अंकित आर्य, अमित गुप्ता, पार्टनर थे। हम तीनों 33%–33% के पार्टनर थे। नफा और घाटा तीनों को बराबर था। फर्म कब रजिस्टर कराई मुझे याद नहीं है। तीन बराबर काम करते थे तीनों ने कोई काम बांटा नहीं था। मक्का गाजियाबाद से आती थी, पन्नी दिल्ली से और मसाले व तेल गाजियाबाद से कच्चे माल के रूप में आते थे। ज्यादातर नकद में आता था। सिक्योरिटी बतौर फर्म का कोई भी चैक नहीं रखा गया था, क्योंकि फर्म का अकाउन्ट नहीं खुला था। जे.एम.के. फर्म फूड्स गाजियाबाद मोरटा में थी। जे.एम.के. फर्म फूड्स 6 माह में लगा कि फर्म घाटे में जा रही है। इसलिए मैंने फर्म से अलग होने के लिये सोचा। फर्म के घाटे में जाने के एक हफ्ते बाद हमने आपस में बैठकर रिटायरमेंट डीड तैयार कराई। ये डीड गायिजाबाद में तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता किस तारीख को हुई थी। हम तीनों पार्टनर थे गवाह कोई नहीं था। जे.एम.के. फर्म में तीनों पार्टनर ने लगभग 20 लाख रूपये लगाये थे। मुझे नहीं पता फर्म कितने घाटे में आई मेरे हिस्से में नुकसान के ढाई लाख रूपये आये। मैं चालू फर्म को छोड़कर अपने घाटे का ढाई लाख अदा करने के बाद हैदराबाद चला गया। हैदराबाद उसी कम्पनी में गया जिसमें पहले गया था। मैं चैक लेकर हैदराबाद गया था। दो चैक लेकर हैदराबाद गया था। मुझे नहीं पता ये चैक मुझे किस तारीख को दिये थे और न ही दिन का पता। विपिन कुमार, काका, व नवीन डी आर इऩ तीन आदमियों के सामने चैक दिये गये थे। तीनों गवाह बहजोई के रहने वाले हैं। ये चैक मुझे अंकित के द्वारा दिया गया। चैक पर तिथि अंकित थी क्या थी मुझे नहीं पता लेकिन चैक मैंने बैंक में लगा दिया। किस तारीख को चैक, बाउन्स हुआ मुझे दिनांक याद नहीं है। मैं बैंक से रिटर्न मैमो किस तारिख को लाया मुझे याद नहीं है। खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बैंक ने मुझे चैक वापस कर दिया। चैक संख्या क्या है मुझे नहीं पता। चैक ए.एम.वी. बैंक गाजियाबाद का था। मैंने चैक बाउन्स होने की खबर अंकित आर्य को फोन पर दी थी। मुझे तारीख याद नहीं है। उसके बाद उस चैक को लेकर मैं अदालत गया था। अदालत में कब गया मुझे याद नहीं है। फर्म में तीनों पार्टनरों का सिक्यूरिटी बतौर कोई भी चैक रखा हुआ नहीं था। यह कहना गलत है कि उक्त चैक मेरे द्वारा जे.एम.के. फूड्स गाजियाबाद फर्म से चोरी करके बैंक में लगाया। मुझे नहीं पता कि दिनांक 22.05.2024 को मैं कहां था। पत्रावली में मैंने शपथपत्र दिया है कब दिया तारिख मुझे याद नहीं है। जब गवाह को पत्रावली पर मौजूद मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथपत्र दिखाया गया तो गवाह ने कहा यह मेरे द्वारा दाखिल किया गया है व मेरे हस्ताक्षर है। इस शपथपत्र में क्या लिखा मुझे जानकारी नहीं है। ये शपथपत्र मेरे वकील साहब द्वारा तैयार किया गया था और उन्हीं के द्वारा दाखिल किया गया। मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है। रिटायर्मेण्ट डीड पर मेरे साइन हैं। रिटायर्मेण्ट डीड का पैरा संख्या 06 मैंने पढ़ा था और हस्ताक्षर किये थे। ये बात सही है कि रिटायरमेण्ट डीड के बाद जे.एम.के. फूड के घाटे के मेरे हिस्से में ढाई लाख रूपये आये थे। उक्त घाटा मैंने अपनी कैपिटल में से दिया था। यह कहना

गलत है कि मेरे द्वारा चैक चोरी किया हो और बैंक में लगाया हो। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा चैक चोरी किया हो और बैंक में लगया हो। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा घाटे के ढाई लाख रूपये न देने के उद्देश्य से उक्त चैक का मुकदमा दायरा किया हो। मुकदमा शुरू किया था तो उस समय गवाह लिखवाया था। नाम मुझे मालूम नहीं है। मेरे द्वारा गवाह की सूची दाखिल नहीं की गयी। अंकित मेरी जानकारी का है। यह कहना गलत है कि घाटे के ढाई लाख रूपये न देने के उद्देश्य से झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि अंकित आर्य के द्वारा मुझे चैक न दिया गया हो।
प्रश्न– अंकित आर्य जे.एम.के. फूड्स फर्म पार्टनर था या नहीं।
उत्तर– उसकी पत्नी कागजों में पार्टनर थी पूरा लेन–देन अंकित आर्य देखता था। लेकिन अंकित आर्य कागजों में पार्टनर नहीं था।

11. **साक्षी पी०डब्लू–2 संजय कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है किपत्रावली पर दाखिल प्रश्नगत चैक सं० 000052 दिनांकित 30.11.2018 AU Small Finance Bank जिसमे खाता धारक का नाम अंकित आर्या और उसके हस्ताक्षर है। जो बैंक के द्वारा दिनांक 11.12.2018 को खाताधारक के द्वारा पेमेंट स्टॉप बाय ड्रायर की टिप्पणी के साथ वापस किया गया था। वह रिटर्न मैमो पत्रावली पर उपलब्ध है और उस पर लाल रंग से बैंक की मोहर भी है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

12. उक्त साक्षी ने दौराने जिरह कथन किया कि मेरी ड्यूटी वर्तमान में बहजोई शाखा में है। जिस समय चैक लगाया गया था उस समय मेरी ड्यूटी बहजोई शाखा में नही थी, अयोध्या में थी। ललित द्वारा चैक अपने बैंक खाते मे लगाया गया था। जब किसी लाभार्थी खाता धारक द्वारा अपने खाते में भुगतान के लिए चैक प्रस्तुत किया जाता है तो उस चैक को संबंधित बैंक कर्मचारी भुगतान प्रक्रिया के लिए आनलाइन माध्यम से संबंधित बैंक को चैक भेजा जाता है जिस बैंक का वह चैंक होता है। उनके द्वारा आनलाइन माध्यम से चैक सं0 000052 मे यह बताया गया कि चैक जारी कर्ता द्वारा चैक के भुगतान पर रोक लगायी गयी है। यदि किसी व्यक्ति का यदि मेरी शाखा में खाता हो तो और वह मेरे पास आये और किसी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने चैको का भुगतान किसी कारण वश कराने से इंकार करे तो इस प्रक्रिया में तुरन्त रोक लगायी जाती है, अगर सर्वर मे कोई दिक्कत ना हो तो लेकिन उसके लिए प्रार्थना पत्र जरूरी है। मैं यह नहीं बता सकता हूं कि लाभार्थी को चैक कैसे प्राप्त हुआ किस माध्यम से प्राप्त हुआ। और ना ही मैं यह बता सकता हूं कि चैक सं0–000052 दिनांकित 30.11.2018 अंकित आर्या ने ललित वार्ष्णेय को चैक दिया हो। रिटर्न मैमो पर सिर्फ पी.एन.बी. बैंक की ही मोहर लगी है। रिटर्न मैमो पर मोहर लगी है, साईन किसके है यह मैं नहीं बता सकता। आज मैं गवाही माननीय न्यायालय से प्रेषित सम्मन पर आया हूं, जो पत्रावली पर शामिल है।

14. धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत अपराध को साबित करने हेतु निम्नलिखित अवयवों को साबित करना होता है।

A–किसी धनराशि का चैक विधिक रूप से देय ऋण अथवा दायित्व के एवज में जारी किया जाना।

B– उक्त चैक को बैंक में दाखिल करने पर बैंक द्वारा अनादृत किया जाना।

C– चैक अनादृत होने के 30 दिनों के भीतर Holder of चैक द्वारा चैक जारी करने वाले व्यक्ति को डिमांड नोटिस प्रेषित किया जाना।

D– चैक जारी करने वाला व्यक्ति नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चैक में उल्लिखित राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहना।

E– परिवादी द्वारा उक्त चैक 15 दिवस की अवधि बीतने के पश्चात 30 दिनों के भीतर परिवाद दाखिल करना।

14. प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि वह, अंकित आर्या तथा अमित गुप्ता, **मैसर्स जे.एम.के. फूड** नामक साझेदारी फर्म के साझेदार थे। फर्म में लगातार घाटा होने के कारण सभी साझेदारों के मध्य दिनांक **06.06.2018** को एक समझौता निष्पादित हुआ, जिसके

अनुसार परिवादी के देय भुगतान हेतु अभियुक्त **अंकित आर्या** द्वारा **ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक, गाजियाबाद** का चैक संख्या 000052 दिनांक 30.11.2018 धनराशि **₹1,75,000/–** परिवादी को प्रदान किया गया। परिवादी द्वारा उक्त चैक अपने बैंक **पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बहजोई** में प्रस्तुत किया गया, जो **"Payment Stopped by Drawer"** की टिप्पणी सहित अनादृत होकर वापस आ गया। इसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 01.01.2019 को अभियुक्त को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया, किन्तु नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा चैक की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

15. परिवादी **पी०डब्ल्यू०-1 ललित वार्ष्णेय** ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद के कथनों का पूर्ण समर्थन किया। उसने स्पष्ट कहा कि साझेदारी फर्म के विघटन के समय हुए समझौते के अनुसार अभियुक्त **अंकित आर्या** द्वारा विवादित चैक उसके देय भुगतान हेतु प्रदान किया गया था। उसने मूल चैक, बैंक रिटर्न मेमो, विधिक नोटिस एवं अन्य अभिलेखों की पुष्टि की तथा कहा कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर चैक का भुगतान रुकवाया गया। दौराने जिरह उसने स्वीकार किया कि जे.एम.के. फूड फर्म में वह, अमित गुप्ता तथा अंकित आर्या से सम्बद्ध पक्ष साझेदार थे तथा बाद में फर्म से पृथक होने के लिए रिटायरमेंट डीड निष्पादित हुई थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि फर्म के घाटे में उसके हिस्से के लगभग ढाई लाख रुपये उसकी पूंजी से समायोजित किये गये थे। जिरह के दौरान वह कुछ तिथियों, चैक दिए जाने की सटीक तिथि, चैक संख्या तथा अन्य गौण तथ्यों को स्मरण नहीं कर सका, किन्तु उसने निरन्तर इस तथ्य का खण्डन किया कि प्रश्नगत चैक फर्म से चोरी किया गया था अथवा उसने उसका दुरुपयोग किया हो। उसने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि कागजों में अंकित आर्या की पत्नी साझेदार थी, किन्तु सम्पूर्ण लेन-देन अंकित आर्या ही देखता था। उसके मुख्य कथन के मूल आधार पर कोई ऐसा मौलिक विरोधाभास दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाए।

16. **पी०डब्ल्यू०-2 संजय कुमार**, बैंक अधिकारी, ने बैंक अभिलेखों के आधार पर यह सिद्ध किया कि प्रश्नगत चैक संख्या **000052** ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाताधारक **अंकित आर्या** के खाते का चैक था तथा बैंक द्वारा दिनांक **11.12.2018** को खाताधारक के निर्देशानुसार **"Payment Stopped by Drawer"** की टिप्पणी के साथ उसका भुगतान रोका गया और रिटर्न मेमो जारी किया गया। जिरह में उसने कहा कि प्रश्नगत अवधि में उसकी तैनाती सम्बन्धित शाखा में नहीं थी तथा वह बैंक अभिलेखों के आधार पर गवाही दे रहा है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थी को चैक किस प्रकार प्राप्त हुआ अथवा अभियुक्त ने स्वयं चैक परिवादी को दिया था या नहीं, इस सम्बन्ध में वह कुछ नहीं बता सकता। साथ ही उसने यह भी बताया कि यदि खाताधारक बैंक को आवेदन देकर भुगतान रोकने का अनुरोध करता है तो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भुगतान रोक दिया जाता है। बैंक अभिलेख नियमित व्यवसायिक अभिलेख होने के कारण उसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है।

17. धारा 138 व सपठित धारा 139 एवं धारा 118A एन0आई0एक्ट यह विधिक उपधारणा प्राविधानित करती है कि चैक को प्राप्त करने वाले द्वारा चैक विधिक रूप से देय ऋण अथवा दायित्व के एवज में दिया गया है। धारा 118A यह प्राविधानित करती है कि हर एक पराक्रम लिखित प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि हर ऐसी लिखत जो प्रतिग्रहीत, पृष्ठांकित, पराक्रमित या अन्तरित हो चुकी हो। तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिग्रहीत, पृष्ठांकित, पराक्रमित या अन्तरित की गयी थी। अर्थात पराक्रम में लिखितों के संविदा के संबंध में प्रतिफल की उपधारणा होती है जब तक प्रतिफल साबित न कर दिया जाये।

18. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक विचारण में अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध साबित न हो जाये। आपराधिक विचारण में प्रारंभिक सबूत का भार परिवादी अथवा अभियोजन पर होता है। कि वह अभियुक्त का अपराध को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करे। हालांकि अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट में प्राविधानित धारा 118A और धारा 139 न्यायालय के अधिदिष्ट करती है कि जब कतिपय तथ्य साबित होते हैं तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि प्रश्नगत चैक विधिक रूप से देय ऋण अथवा दायित्व के एजव में दिया गया है और इस प्रकार परिवादी का प्रारंभिक सबूत का भार भार मुक्त होगा हालांकि उक्त विधिक उपधारणा की प्रकृति खण्डनीय होती है और अभियुक्त विपरीत

तथ्यों को स्थापित कर उसका खण्डन कर सकता है। इस स्तर पर उक्त खण्डन हेतु प्रमाण का मानक संभावनाओं की प्रबलता (Pre ponderance of probabilities) होता है।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M.S Narayan Menon Vs. State of Kerala (2006) 6 SCC 39 में यह अभिनिर्धारित किया गया–

The standard of proof evidently is preponderance of probabilities. Inference of preponderance of probabilities can be drawn not only from materials on record but also by reference to the circumstances upon which he relies.

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 में यह कथन किया है कि परिवादी के कथन व दावा पूरी तरह असत्य है क्योंकि मुझ विपक्षी को अपने चैक गुम होने का पता चला, तो मेरे द्वारा बैंक में प्रार्थना पत्र के माध्यम से चैक का भुगतान रुकवा दिया गया था। साक्षी पी.डब्लू. 01 के ब्यानों में विरोधाभास है, जिससे होता है कि साक्षी पी.डब्लू. 01 द्वारा दायर परिवाद अनुचित लाभ प्राप्त करने कि नियत से दायर किया गया, जो कि झूठा है। जबकि पी.डब्लू. 2 संजय कुमार औपचारिक साक्षी है। जिसने कि मुझ विपक्षी के कथनों का समर्थन किया है फर्म में घाटे के कारण रूपयों कि अनुचित मांग को लेकर मुझ विपक्षी का प्रश्नगत चैक फर्म के कार्यालय से अवैध रूप से गुम करके परिवादी द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने कि नियत से परिवादी द्वारा उक्त मुकदमा चलाया गया। फर्म में घाटे के कारण रूपयों की अनुचित मांग तथा चैक को फर्म के कार्यालय से गुम करके अवैध रूप अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा मुझ निर्दोष विपक्षी का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करने कि नियत से परिवादी द्वारा झूठा मुकदमा दायर किया गया है। बचाव में साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Krishna Janardhan Bhat Vs. Dattatraya G. Hegde AIR 2008 SC 1325, में यह अभिनिर्धारित किया गया–**

Accused for discharging the burden of proof placed upon him under a statute need not examine himself. He may discharge his burden on the basis of the materials already brought on record. As accused has a constitutional right to remain silent. Standard of proof on the part of an accused and that of the prosecution in a criminal case is different.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा as K.N Beena Vs. Muniyappan and Anr. (2001) 8 SCC 458, **में यह अभिनिर्धारित किया गया–**

In order to rebut the presumption, mere denial by the accused will not suffice. The accused must prove by leading cogent evidence that there was no debt or liability.

21. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन किया गया कि प्रश्नगत चैक फर्म के कार्यालय से गुम/चोरी हो गया था, जिसके कारण उसके द्वारा बैंक को भुगतान रोकने का निर्देश दिया गया था तथा परिवादी ने उक्त चैक का दुरुपयोग करते हुए यह परिवाद प्रस्तुत किया है। किन्तु उक्त कथन के समर्थन में अभियुक्त द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस को दी गयी शिकायत, चैक गुम होने के सम्बन्ध में कोई सूचना अथवा अन्य कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि पी०डब्ल्यू०-2 बैंक अधिकारी ने यह अवश्य कहा कि खाताधारक के निर्देश पर बैंक द्वारा "Payment Stopped by Drawer" की टिप्पणी के साथ चैक वापस किया गया था, तथापि यह तथ्य मात्र इस बात का प्रमाण नहीं है कि चैक वास्तव में चोरी अथवा गुम हो गया था। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्षी भी परीक्षित नहीं कराया। यदि वास्तव में चैक चोरी अथवा गुम हो गया होता तो एक सामान्य सतर्क व्यक्ति द्वारा तत्काल पुलिस अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत किया

जाना स्वाभाविक था। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त का यह बचाव मात्र मौखिक कथन तक ही सीमित रह जाता है।

22. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी के कथनों में अनेक विरोधाभास हैं। यह भी तर्क दिया गया कि परिवादी ने जिरह में स्वीकार किया है कि रिटायरमेंट डीड निष्पादित हुई थी तथा उसके अनुसार पूँजीगत निवेश का समायोजन हो चुका था। यह भी कहा गया कि परिवादी द्वारा बाद में हुए मौखिक समझौते का उल्लेख किया गया है, किन्तु उसके समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि प्रश्नगत चैक फर्म से चोरी/गुम हो गया था तथा परिवादी ने उसका दुरुपयोग कर झूठा परिवाद प्रस्तुत किया है।

23. दूसरी ओर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परिवादी पी०डब्ल्यू०-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से यह सिद्ध किया है कि फर्म के विघटन के समय हुए समझौते के अनुसार अभियुक्त द्वारा ही विवादित चैक उसके देय भुगतान हेतु प्रदान किया गया था। पी०डब्ल्यू०-2 बैंक अधिकारी ने बैंक अभिलेखों के आधार पर यह सिद्ध किया कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त के खाते का था तथा खाताधारक के निर्देश पर "Payment Stopped by Drawer" की टिप्पणी के साथ अनादृत किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि विधिक नोटिस नियमानुसार समयावधि में प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त द्वारा न तो उसका उत्तर दिया गया और न ही चैक की धनराशि का भुगतान किया गया। अतः धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त आवश्यक अवयव सिद्ध हो चुके हैं।

24. निश्चित रूप से आपराधिक विचारण में अभियोजन को अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध करना होता है, किन्तु धारा 118(ए) एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत यह विधिक उपधारणा निहित है कि हस्ताक्षरित चैक विधिक रूप से देय ऋण अथवा दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किया गया है। उक्त उपधारणा का खण्डन करने हेतु अभियुक्त को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजेश जैन बनाम अजय सिंह, Criminal Appeal No. ....of 2023 (@ Special Leave Petition (Crl.) No. 12802 of 2022**) में यह अभिनिर्धारित किया कि-

"Once the presumption under Section 139 was given effect to, the Courts ought to have proceeded on the premise that the cheque was, indeed, issued in discharge of a debt/liability."

25. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा यह विवाद नहीं किया गया कि प्रश्नगत चैक उसी के बैंक खाते का है तथा उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। परिवादी द्वारा मूल चैक, बैंक रिटर्न मेमो, विधिक नोटिस तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। अभियुक्त द्वारा यह बचाव लिया गया कि चैक फर्म से चोरी अथवा गुम हो गया था, किन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया तथा न ही कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि उसने चैक चोरी अथवा गुम होने के सम्बन्ध में किसी सक्षम प्राधिकारी को विधिवत सूचना दी थी। अतः मात्र धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया मौखिक कथन धारा 118(क) एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न विधिक उपधारणा का खण्डन करने हेतु पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

26. अभियुक्त द्वारा इंगित किये गये विरोधाभास मुख्यतः गौण एवं स्वाभाविक प्रकृति के हैं। यह तथ्य कि परिवादी को जिरह के दौरान कुछ तिथियाँ, चैक दिये जाने का सटीक दिन अथवा कुछ व्यक्तियों के नाम स्मरण नहीं थे, अथवा बाद में हुए मौखिक समझौते का कोई पृथक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, अपने आप में उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता। परिवादी का मूल कथन प्रारम्भ से अन्त तक एक समान एवं सुसंगत रहा है कि विवादित चैक अभियुक्त द्वारा ही उसके देय भुगतान के लिए प्रदान किया गया था। बैंक अभिलेख भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उक्त चैक खाताधारक के निर्देश पर "Payment Stopped by Drawer" की टिप्पणी के साथ अनादृत हुआ।

27. यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी ने जिरह के दौरान रिटायरमेंट डीड के अस्तित्व को नहीं छिपाया, बल्कि स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ऐसी डीड निष्पादित हुई थी तथा फर्म के घाटे में उसके हिस्से का समायोजन भी हुआ था। तथापि अभियुक्त द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया कि उक्त रिटायरमेंट डीड के कारण प्रश्नगत चैक के माध्यम से देय दायित्व पूर्णतः समाप्त हो गया था अथवा विवादित चैक किसी विधिक दायित्व के निर्वहन हेतु जारी नहीं किया गया था। केवल रिटायरमेंट डीड का अस्तित्व अथवा पूँजीगत समायोजन का उल्लेख, धारा 139 के अधीन उत्पन्न विधिक उपधारणा का स्वतः खण्डन नहीं करता, विशेषकर तब जबकि अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28. अतः समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों, विधिक उपधारणाओं तथा दोनों पक्षों के तर्कों के सम्यक परीक्षण के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त धारा 118(क) एवं धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न विधिक उपधारणा का सफलतापूर्वक खण्डन करने में असफल रहा है। परिवादी यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि प्रश्नगत चैक विधिक रूप से देय दायित्व के निर्वहन हेतु अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था, जो बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर खाताधारक द्वारा भुगतान रोकने के निर्देश ("Payment Stopped by Drawer") के कारण अनादृत हुआ तथा विधिक नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी अभियुक्त द्वारा वैधानिक अवधि के भीतर उसका भुगतान नहीं किया गया।

29. उपर्युक्त समस्त विवेचन तथा उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि परिवादी अभियुक्त **अंकित आर्या** के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। फलतः अभियुक्त अंकित आर्या धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अंकित आर्या को परिवाद सं० – 2446/2026, अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना बहजोई के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच पश्चात् पेश हो।

दिनांक–01.07.2026

(नावेद अख्तर)
J.O. Code–UP3322
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।

लंच पश्चात

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुयी।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दण्ड के प्रश्न पर कथन किया गया है कि वह गरीब है, उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि, अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड देने की प्रार्थना की गयी है।

दण्ड के बिन्दु पर परिवादी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न्लिखित दण्डादेश से दण्डित किया जाना विधिसम्मत होगा।

<u>दण्डादेश</u>

अभियुक्त अंकित आर्या को परिवाद सं० – 2446/2026, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए, उसे एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा मु० 2,10,000/–रु० (दो लाख दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अधिरोपित अर्थदण्ड की सम्पूरण धनराशि परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किये जायें। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि परिवादी द्वारा 143 एन0आई0 एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त की गयी धनराशि उक्त अर्थदंड में समायोजित की जायेगी। परिवादी बाद मियाद अपील अवधि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यदि अभियुक्त उपरोक्त कारावास की अवधि कारागार में व्यतीत कर लेता है फिर भी अर्थदण्ड की धनराशि उसकी सम्पत्ति में से वसूल की जायेगी। तद्नुसार दोषसिद्ध अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट निर्गत हो।

अभियुक्त की ओर से धारा 437 क दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/–रु० के दो प्रतिभू तीन दिवस के भीतर दाखिल किये जावें।

उपरोक्त निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–<u>01.07.2026</u>

(नावेद अख्तर)
J.O. Code–UP3322
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–<u>01.07.2026</u>

(नावेद अख्तर)
J.O. Code–UP3322
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।